BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 05 जुलाई 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने वाले 02 आरोपियों को 05-05 वर्ष का कारावास व 05-05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 01. सर्वेश पुत्र होरीलाल कश्यप निवासी मौ0 अफतार नगर थाना सासनी गेट जनपद अलीगढ़ 02. जीतू पुत्र मनोज निवासी ग्राम भदेसी थाना गांधी-पार्क जनपद अलीगढ़ द्वारा वर्ष-2011 में पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 27.12.2011 को थाना अरनिया पर मुअसं-373/2011 धारा 307/34 भादवि पंजीकृत किया गया तथा बरामदगी के संबंध में मुअसं- 374/11 धारा 3/25 आयुध अधि0 व मुअसं 375/11 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया। दिनांक 31.01.2012 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 04 गवाह परिक्षित कराये गये। जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 05.07.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे-खुर्जा जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सर्वेश व जीतू को 05-05 वर्ष का कारावास व 05-05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री संजीव कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

अभियुक्त सर्वेश का आपराधिक इतिहास

1. मुअसं- 373/2011 धारा 307/34 भादवि थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 374/2011 धारा 25 आयुध अधि0 थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त जीतू का आपराधिक इतिहास

1. मुअसं- 373/2011 धारा 307/34 भादवि थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 375/2011 धारा 25 आयुध अधि0 थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

मीडिया सेल बुलन्दशहर